न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 53/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 रतना पिता होकमा जाति भील नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 श्रीमती गीता धर्मपत्नि नारायण, जाति भील नि0 कलुन्दिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

2 श्रीमती गीता धर्मपत्नि अजय कुमार जाति भांबी नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ––––– प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
अप्रार्थी संख्या 01,से 02 अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांक 11–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 02–03–2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हैः–

यह कि सरहद प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की ग्राम–कलुन्दिया, पटवार हल्का–पीपली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–मंगरोपा, तहसील–हमीरगढ, जिला–भीलवाड़ा में प्रार्थी की सामलाती खातेदारी हक व अधिकार की आराजियात खाता संख्या नया 173 पुराना 174 की निम्न वर्णित आराजियात स्थित हैः– आराजी संख्या 590 रकबा 0.2023 है0, आराजी संख्या 591 रकबा 0.9231है0, आराजी संख्या 592 रकबा 0.5817है0, आराजी संख्या 593 रकबा 0.6575 है0, आराजी संख्या 594 रकबा 0.1012है0, आराजी संख्या 595 रकबा 0.0506है0, कुल किता 06 रकबा 2.5164 है0, प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित सामलाती आराजीयात पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्त जिसको संलग्न नजरी नक्शे में रेखांकित कर दर्शाया गया है, जो कि विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 1307 /588 व विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 1227/589,1306/588 की उत्तरी दिशा में सहारे–सहारे होकर प्रार्थी की उक्त आराजी तक आता है जिससे होकर अर्सादराज से आ जा रहा है तथा मौके पर राजस्व रेकॉर्ड में भी रास्ता दर्ज है नजरी नक्षा प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 आये दिन प्रार्थी को उक्त आराजियात में आने जाने के उनके खेत के उत्तरी दिशा की ओर सहारे–सहारे निकल रहे उक्त रेखांकित रास्ते के प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में व आने–जाने में रूकावट व बाधा उत्पन्न करते हैं, ओलम्बा देने पर लड़ाई–झगड़े पर आमादा होते हैं तथा एलानिया कह दिया है कि इस रास्ते से होकर नहीं आने–जाने देंगे और रास्ते से आने जाने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी से टुकड़े–टुकड़े कर देंगे जिसके लिए प्रार्थी ने कई बार शिकायते की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

यह है कि हाल ही मैं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक को नजरी नक्शे में अंकित रेखांकित दर्ज रास्ते को बंद कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर आ–जा नहीं पा रहा है। इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत आई है। यह है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जेयाबी की आराजियात जो कलम संख्या 1 में वर्णित है पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता विपक्षी की आराजियात के उत्तरी दिशा में सहारे सहारे होकर जाता है जो कि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर संलग्न नजरी नक्शा में रेखांकित कर दर्शाया गया है में होकर जाता है, वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 590 से 595 पर नजरी नक्शे अनुसार होते हुए अर्सादराज से दर्ज रास्ते से होता हुआ आ–जा रहा है, संज बैलगाड़ी व कृषि उपकरण ला–ले जा रहा है, साथ में नक्शाट्रेस पेश है ।

प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमा कलम संख्या 3 प्रार्थनापत्र मे वर्णित राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ता अभिन्न अंग के रूप में संलग्न नजरी नक्शे में रेखांकित किया गया है जो खुलासा करया जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 से 02 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा कलुन्दिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के खातेदारी खसरा संख्या 1373/600 रकबा 0.379 है, आ.न. 599/1 रकबा 0.3161 में से 0.0253 है0, आ.न. 598/1 रकबा 0.3161है0, में से 0.0270 है0, आराजी नम्बर 596 रकबा 0.2908है0, में से 0.0253है0 यानि कुल 0.1155है0 भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रा0पत्र 06 नियम 17 संपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया जिसे मंजुर किये जाने की आज्ञा परीत की गई है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।**

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः कलुन्दिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के खातेदारी खसरा संख्या 1373/600 रकबा 0.379 है, आ.न. 599/1 रकबा 0.3161 में से 0.0253 है0, आ.न. 598/1 रकबा 0.3161है0, में से 0.0270 है0, आराजी नम्बर 596 रकबा 0.2908है0, में से 0.0253है0 यानि कुल 0.1155है0 नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा कलुन्दिया प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के खातेदारी खसरा संख्या 1373/600 रकबा 0.379 है, आ.न. 599/1 रकबा 0.3161 में से 0.0253 है0, आ.न. 598/1 रकबा 0.3161है0, में से 0.0270 है0, आराजी नम्बर 596 रकबा 0.2908है0, में से 0.0253है0 यानि कुल 0.1155है0 भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.1155 हैक्टेयर (1155 वर्गमीटर), की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 02 (आराजी संख्या खसरा संख्या 1373/600, 599/1, 598/1, 596 वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner